

29. ऐसे कर्मचारी जो स्थल पर निर्माण कार्य कर रहे हैं अथवा निर्माण सामग्री को चढ़ाने व उतारने का कार्य करते हैं, विकासकर्ता द्वारा उन्हें मास्क उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि डस्ट उनके स्वास्थ्य में न जायें तथा ऐसे कर्मचारियों के चिकित्सा सुविधा व आवश्यक जांच व उपचार की उचित व्यवस्था किया जाना होगा।
30. पत्थर काटने व ग्राइण्डिंग का कार्य करते समय पर्यावरण में डस्ट पार्टिकल न उड़कर जायें, उसकी उचित व्यवस्था आवेदक द्वारा सुनिश्चित करवायी जायेगी तथा निर्माण स्थल पर हवा को रोकने के लिए दीवार आदि भी बनाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण किया जायेगा।
31. योजना के नियोजन, विकास/निर्माण कार्यों एवं ऑपरेशन एवं मैनटीनेन्स में जल एवं ऊर्जा के संरक्षण, सोलर एनर्जी के उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण तथा ग्रीन कवर के रखरखाव हेतु समुचित प्राविधान करने होंगे।
32. विकासकर्ता द्वारा योजना का क्रियान्वयन डी0पी0आर0 के अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष/विस्तारित अवधि के अन्दर प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा तथा समस्त विकास एवं निर्माण कार्य 5 वर्ष में पूर्ण करने होंगे। उल्लंघन की दशा में विकासकर्ता को विकास शुल्क, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, स्टॉम्प शुल्क के रूप में दी गई छूट तथा अन्य इन्सेन्टिव वापस ले लिए जायेंगे।
33. विकासकर्ता द्वारा योजना के समस्त आंतरिक एवं बाह्य विकास कार्य अपनी लागत पर स्वयं क्रियान्वित किए जायेंगे परन्तु कतिपय ट्रंक अवस्थापना सुविधाओं यथा-ड्रेनेज, सीवरेज, जलापूर्ति, आदि के लिए यदि कनेक्टिविटी प्राप्त की जाती है, तो सम्बन्धित शासकीय अभिकरण/विभाग को समानुपातिक व्यय देय होगा।
34. विकासकर्ता द्वारा योजना के विकास/निर्माण कार्य पूर्ण किये बिना भूमि अथवा उसके किसी भू-भाग का हस्तान्तरण/सब-लीजिंग अनुमन्य नहीं होगी। उल्लंघन की दशा में विकासकर्ता को प्रदत्त समस्त रियायतें/इन्सेन्टिव वापस ले लिए जायेंगे।
35. अफोर्डेबल हाउसिंग एवं अन्य भवनों का आवंटन/विक्रय विकासकर्ता द्वारा स्वयं किया जायेगा।
36. विकासकर्ता द्वारा डी0पी0आर0 की स्वीकृति के समय शासकीय अभिकरण को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वह अफोर्डेबल हाउसिंग के अंतर्गत निर्मित भवनों की इस नीति के अधीन निर्धारित सीलिंग कास्ट से अधिक लागत पर तथा किसी व्यक्ति को एक से अधिक भवन/फ्लैट का आवंटन/बिक्री नहीं करेगा। विकासकर्ता द्वारा भवनों के आवंटन में प्रचलित शासकीय नीतियों के अनुसार आरक्षण सम्बन्धी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
37. कालोनी के समस्त विकास कार्य मानकों के अनुसार पूर्ण करके कालोनीवासियों की रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड कराकर अनुरक्षण हेतु उन्हें अथवा नगर निगम को हस्तान्तरण होने तक समस्त रखरखाव विकासकर्ता को करना होगा तथा इस हेतु प्राधिकरण के साथ नियमानुसार अनुबंध करना होगा। अनुरक्षण हेतु प्राधिकरण का कोई दायित्व नहीं होगा।
38. योजना के कुल क्षेत्रफल की 15 प्रतिशत भूमि (जो विक्रय योग्य हो) प्राधिकरण के पक्ष में बंधक रखी जा चुकी है। बंधक रखी गई भूमि पर विकास/निर्माण की अनुमति होगी, परन्तु उक्त भूमि अथवा उस पर निर्मित सम्पत्तियों की बिक्री अनुमन्य नहीं होगी। बंधक रखी गई भूमि को योजना के विकास एवं निर्माण कार्यों के पूर्ण होने पर अवमुक्त किया जाएगा।

*Handwritten signature*